न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मण्डल/ग्वालियर केम्प,भोपाल(म.प्र.)

नि0 – 2155-PBR-16

पुनरीक्षण कमांक–.......16

विमल चन्द आ0 श्री दुलीचन्द सुराना आयु 64 वर्ष
निवासी–आठनेर,तहसील आठनेर,
जिला बैतूल (म.प्र.)..पुनरीक्षणकर्ता/निगरानीकर्ता

बनाम

शिखर चन्द आ0 दुलीचन्द सुराना आयु 70 वर्ष
निवासी–आठनेर,तहसील आठनेर,
जिला बैतूल (म.प्र.)..उत्तरवारवादी

पुनरीक्षण याचिका/निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959।

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से विनय है :–

यह पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद के द्वारा अपील कमांक–68अ/2015–16 विमल चन्द बनाम शिखर चन्द में पारित आदेश दिनांक 26.05.2016 एवं अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी भैंसदेही जिला बैतूल(म.प्र.) के अपील प्रकरण कमांक–41अ–27 वर्ष 2014–15 आदेश दिनांक 07.12.2015 एवं अपील कमांक–11अ–27 वर्ष 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 26.06.2015 तथा तहसीलदार आठनेर जिला बैतूल द्वारा राजस्व प्रकरण–48अ–27 वर्ष 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2014 से व्यथित एवं दुखी होकर यह निगरानी/पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष समयावधि में प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2155–पीबीआर/16 [विमलचंद/शिखरचंद] जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–9–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों परि विचार किया गया । प्रकरण में निम्न न्यायालयों के आदेशों की प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई प्रथम अपील में बल नहीं दिये जाने एवं अपील वापिस लिये जाने के कारण निरस्त की गई है । तहसील न्यायालय द्वारा भी आवेदक के आवेदन पर कोई आदेश नहीं किया जाकर आवेदन पत्र अमान्य किया गया है । ऐसी स्थिति में जब किसी भी न्यायालय में कोई आदेश ही नहीं हुआ है, इस निगरानी को सुने जाने का प्रथम दृष्टया कोई औचित्य नहीं होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	